

समाहरणालय, मधेपुरा

(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक-201/सा0सु0को0,

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
मधेपुरा।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा।
अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

मधेपुरा, दिनांक-08/07/13

विषय:-

चालु वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (विशेष घटक) के अधीन कार्यालय व्यय मद में कुल 10,00,000=00 (दस लाख) रुपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग:-

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार-पटना के पत्र सं0-01/सा0सु0 बजट-ई0गा0रा0वृद्धा पेंशन-11/2013 - स0क0-38 पटना, दिनांक-28/06/2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं0-999, दिनांक-14.05.2013 के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (विशेष घटक) के अधीन मांग संख्या-51 मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विषय शीर्ष-13 01- कार्यालय व्यय विमत्र कोड सं0-P-2235037890101 तथा स्कीम कोड- WEL-5498 के अधीन चालू वित्तीय वर्ष- 2013-14 में कार्यालय व्यय मद में कुल-10,00,000=00 (दस लाख) रुपये मात्र का उपावंटन संलग्न तालिका के अनुसार किया जाता है।


- उपावंटित राशि का व्यय ज्ञापांक-2142, दिनांक-17.10.11 द्वारा निर्गत NSAP की मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार के व्यय नियमावली के अधीन ही किया जायेगा।

P.F.O

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (विशेष धटक) के तहत कार्यालय व्यय मद में
उपावंटित तालिका:- 2013-14

क्रमांक	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	उपावंटित राशि (रु० में)
1	2	3
1	अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा	75000
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	75000
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	25000
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	25000
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	25000
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़	25000
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	25000
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	25000
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	25000
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	25000
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	25000
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	25000
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	25000
14	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	25000
15	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	25000
16	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	12500
17	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	12500
18	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा	500000
	कुल योग:-	1000000

(मो० दस लाख रुपये मात्र)


सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा।

3. निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल अनुश्रवण हेतु इस मद में भाड़े पर वाहन, डाटाबेस का कम्प्यूटराईजेशन इत्यादि के लिए राशि खर्च की जायेगी, कम्प्यूटराईजेशन कार्य में लगे डाटा ऑपरेटर को उनके वकाया मानदेय का भी भुगतान इस मद में प्रावधानित राशि से किया जायेगा।
4. इस मद में व्यय किये गए राशि का व्यय प्रतिवेदन दिनांक प्रथम भाग २१ तारीख तक निश्चित रूप से सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को उपलब्ध कराया जाय। ताकि निदेशालय को उपलब्ध कराया जा सके एवं समेकित प्रतिवेदन निदेशालय द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जा सकें।
5. उपावृत्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र डी०सी० विपत्र महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। जिसकी एक प्रति निदेशालय एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को भी उपलब्ध करायी जाय।
6. उपावृत्त राशि से अधिक राशि व्यय नहीं किया जाय। अधिक व्यय होने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, की जवाबदेही होगी।

उपर्युक्त निर्देशों को कृपया दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन


सहायक निदेशक,

सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा।